



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082022-238398
CG-DL-E-26082022-238398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3832]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2022/भाद्र 3, 1944

No. 3832]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2022/BHADRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

का. आ. 4006(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ (4) (5) (6) और (7) में उल्लिखित जिलो. तालुको और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH119 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH119	उत्तर प्रदेश	मुज़फ्फरनगर	जानसठ	1 उजयाली कलाँ गैर अह0

		के कि.मी. 48.275 से 70.621 तक				2 उज्याली कलाँ अह
2	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH119 के कि.मी. 70.621 से 87.175 तक	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	बिजनौर	1 नवलपुर 2 बिजनौर अहतमाली

[फा. सं. NHAI/66011/LA/NOTIF./2022/PIU-Merut]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2022

S. O. 4006(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from specified in the corresponding entry in Col. no. 3 of the said schedule relating to stretch of land, districts, Taluk and villages mentioned in column 4,5,6 and 7 respectively of the said schedule of the NH119 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH119 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special land acquisition officer	48.275KM To 70.621KM	UTTAR PRADESH	MUZAFFARNAGAR	Jansath	1 Ujyali Kalan Non Aht 2 Ujyalikalan Aht
2	Special land acquisition officer	70.621KM To 87.175KM	UTTAR PRADESH	BIJNOR	Bijnor	1 Nawalpur 2 Bijnor Ahatmali

[F. No. NHAI/66011/LA/NOTIF./2022/PIU-Merut]

RAJESH GUPTA, Director